न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा।

06.03.2026

अभियुक्त नूर आलम की ओर से अ0सं0 218/2022 अन्तर्गत धारा–498ए,377,323,504,506 भा0दं0सं0, 3/4 डी0पी0 एक्ट व 3/4 एम0एम0 एक्ट, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी को एन0बी0डब्लू0 पर गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में कोई सम्मन अथवा जमानतीय वारण्ट प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थी दिनांक 26.10.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी को जमानत पर छोड़ा जाये।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि जमानत की शर्तो का उल्लंघन किया गया है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त को एन0बी0डब्लू0 पर गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा गया था। अभियुक्त दिनांक 26.10.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है। तदानुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त नूर आलम द्वारा 25,000/– रूपये का बंध पत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

(दीपांकर)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 3541